रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 2/2019-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31) की धारा 8 के खंड (ख), धारा 20 के खंड (खक), धारा 28 के खंड (ख) के उपखंड (i) और खंड (ग) के उपखंड (i) के सिवाय उसके उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

No. 2/2019–Central Tax

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (31 of 2018), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2019, as the date on which the provisions of the Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (31 of 2018),

except clause (b) of section 8, section 17, section 18, clause (a) of section 20, sub-clause (i) of clause (b) and sub-clause (i) of clause (c) of section 28, shall come into force.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 3/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 63(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्त उक्त नियम कहा गया है) के अध्याय 2 के शीर्षक में, "संयोजन नियम" शब्दों के स्थान पर, "संयोजन उद्ग्रहण" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 7 के क्रम संख्यांक (3) के सामने की सारणी में, स्तम्भ (3) में "माल" शब्दों के स्थान पर, "माल और सेवा" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियम में नियम 8 में, उप नियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द रखा जाएगा ।

5. उक्त नियम के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**11. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण–** (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों को रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके किसी ऐसे कारबार के स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक ऐसे कारबार के संबंध में पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा (2) के खंड (85) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार के स्थान हैं;

(ख) उसके किसी भी कारबार के स्थानों के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करने दिया जाएगा, यदि वह किसी अन्य कारबार के स्थान के लिए धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है ;

(ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार के स्थान ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और यथास्थिति, ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक या प्रदाय का बिल जारी करेंगे ।

स्पष्टीकरण--खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार का स्थान, जिसे पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए